फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

सरकार बनाम कैलाशचन्द वगै0

पत्र संख्या : 16/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी सं0 1, 3, 4 व वकील प्रार्थी 1(10) सीपीसी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी 1(10) सीपीसी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 1(10) सीपीसी में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद पत्र प्रार्थीगणों की शिकायत के आधार पर पेश किया गया है। खसरा नम्बर 144 मिन प्रार्थीगण की पैतृक, कब्जे काश्त की जमीन है जिसमें प्रार्थीगण के वैध हक व अधिकार निहित है। प्रार्थीगण की पैतृक विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि दर्ज है। जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित है एवं अप्रार्थीगण द्वारा कृषि पर गैर कानूनी रूप से बिना रूपान्तरण के आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी उसको रूकवाने के लिये ही मिन प्रार्थीगण द्वारा जेडीए, एसडीएम एवं तहसीलदार के यहा कार्यवाही की गई थी ऐसी स्थिति में उक्त वादपत्र में मिन प्रार्थीगण आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार की श्रेणी में आते है क्योकि समस्त कार्यवाहियॉ मिन प्रार्थीगण की शिकायतों पर की गई है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया जाकर उन्हे जवाब देही का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। प्रकरण की वास्तविक सही स्थिति आने के लिये एवं प्रकरण के सही न्यायिक निर्णयन के लिये मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया जाकर उसे जवाब देही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। उक्त वग्रित परिस्थितियों में प्रार्थी उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में आवश्यक एवं पीडित पक्षकार है, तथा इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की उपस्थिति वादपत्र में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णयन और निपटारा करने के लिये आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की जावें। वकील अप्रार्थी सं0 1, 3, 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मिन प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में जो प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया है वह अंकित व कथित तथ्यों अनुसार शिकायत कर्ता बताया गया है। जिसका इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना कतई सही नही है। ना ही मिन प्रार्थीगण का कोई हित साबित होता है। अतः मिन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी वाद में मेन्टेबल नही होने से खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अवलोकन करने एवं बहस का मनन करने पर पाया कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थीगण को कोई हित साबित नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित नही समझते है। अतः मिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 19.06.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय जमवारामगढ़
मिसल बनाम कैलाशचन्द व अन्य

12/6/25 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

20/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद को आदेश रजि. से दुरुस्त कर खारिज किया जा चुका है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शे से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0

प्रार्थना पत्र सं0 .....16...../2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0

..... प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशचन्द, बद्रीनारायण, मुलचन्द पुत्रान गंगासहाय जातियान हरियाणा ब्राहम्ण निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ।
2. गुलाब देवी पत्नि स्व0 श्री गंगासहाय जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ।
3. धन्नालाल, प्रभूदयाल, सुरेश पुत्रान शंकर लाल जातियान हरियाणा ब्राहम्ण निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ।
4. रामसहाय पुत्र लादू जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी चावण्ड का मण्ड।

..... अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत

महोदय,

प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार की ओर से राजहित में अलावा दीगर वजुहात के प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–77 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में स्थित खाता सं. पुराना 180 नया 114 में अंकित खसरा नम्बर 144 रकबा 2.1000है0, किस्म बारानी 2 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण कैलाशचन्द पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/16, गुलाब देवी पत्नी गंगासहाय हिस्सा 1/16, धन्नालाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) आर.एम.जी.बी. शाखा सायपुरा, प्रभूदयाल पुत्र शंकर लाल हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) आर.एम.जी.बी. शाखा सायपुरा, बद्रीनारायण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/16, मूलचन्द पुत्र गंगा सहाय हिस्सा 1/16, रामसहाय पुत्र लादू हिस्सा 1/4, सुरेश पुत्र शंकर लाल हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) आर.एम.जी.बी. शाखा सायपुरा निवासी/सा. चावण्ड का मण्ड के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि राजस्व रिकार्ड मुताबिक कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण भूमिधारी है।
2. यह कि पटवारी हल्का सायपुरा की जॉच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 2.1000है0, किस्म बारानी 2 पर गैर कृषि कार्य प्लाटिंग/कॉलोनी निर्माण का कार्य कर बिना संपरिवर्तन के कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है।
3. यह कि अप्रार्थीगणों को तहसील कार्यालय द्वारा नोटिस कमांक/आर.ए./2024/776–83 दिनांक 21.10.2024 एवं 1034–41 दिनांक 05.12.2024 जारी किया जाकर प्लाटिंग/कॉलोनी निर्माण के संबंध में रूपान्तरण/संपरिवर्तन आदेश आदि अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। लेकिन अप्रार्थीगणो द्वारा स्वयं या प्रतिनिधि तथा किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही हो कर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।

तहसीलदार
जमवारामगढ (जयपुर)

यह कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि में कराये जा रहे अकृषि प्रयोजनार्थ प्लाटिंग/कॉलोन निर्माण प्रार्थी के भू स्वामित्व के विरूद्व होकर हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण बेदखली की श्रेणी में आता है।

यह कि प्रकरण मे इस कार्यालय के पत्र कमांक/आर.ए./2024/701 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा उपायुक्त महोदय जोन–10 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को उक्त आराजी खसरा नंबर 144 रकबा 2.1000है0 भूमि पर बिना रूपान्तरण कॉलोनी/प्लोटिंग कार्य किये जाकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन करने से कार्यवाही हेतु लिखा गया था।

. यह कि प्रकरण मे उपायुक्त महोदय जोन–10 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्र कमांकः()जविप्रा/उपा/जोन–10/2024/डी–1505 दिनांक 06.11.2024 द्वारा प्रकरण मे ग्राम चावण्ड का मण्ड के ख0नं0 144 रकबा 2.10है0 किस्म बारानी–2 निजी खातेदारी भूमि जो मास्टर प्लान अनुसार इकॉलोजिकल क्षेत्र मे होने से उक्त आराजी का गैर कृषि उपयोग होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 एवं 177 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को लिखा गया है।

यह कि अप्रार्थीगणो द्वारा मौके पर कृषि भूमि पर की जा रही कार्यवाही उस भूमि क्षेत्र से बेदखल करने के अधीन आता है।

यह कि अप्रार्थीगणो द्वारा धारित खातेदारी भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर भूमि को सिवाय चक किया जाना न्यायोचित है।

यह कि कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी की भूमि पर भूमि धारण करने वाले खातेदारों द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया गया है, जिसके लिए खातेदारान को मौके से बेदखल किया जाना आवश्यक है।

0. यह कि अप्रार्थीगण खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

1. यह कि मुतदावियां भूमि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील जमवारामगढ के राजस्व ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार मण्डल सायपुरा में स्थित खसरा नम्बर 144 रकबा 2.1000है0, किस्म बारानी 2 पर गैर कृषि कार्य बिना कृषि भूमि रूपान्तरण के प्लाटिंग/कॉलोनी विकसित करने पर सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित करने तथा खातेदारो को बेदखल करने हेतु श्रीमानजी के न्यायालय मे एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के निस्तारण व निस्तारण उपरांत भी उक्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किया जाना यथोचित/अतिआवश्यक होने से आदेश पारित करने की आज्ञा प्रदान करे।

दिनांकः–15.01.2025

स्थानः–जमवारामगढ

प्रार्थी

तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर)

राजस थान सरकार जरिये तहसीलदार,
तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर